



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय Uttarakhand Open University

Ref. No. UOU/R/का.प.टी./29/2021

Date 24/02/2021

सेवा में,

1. प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, भौतिक विज्ञान विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस0एस0जे0 कैम्पस, अल्मोड़ा
2. प्रोफेसर एल0एन0 कोली, लेखा एवं विधि विभाग, वाणिज्य संकाय, दयालबाग शैक्षणिक संस्थान, दयालबाग, आगरा-282005, उत्तर प्रदेश।
3. श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, नवाबी रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. श्री पवन अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, नैनी ग्रुप, नैनी पेपर्स लि0 एवं नैनी टिश्यूज लि0, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
5. डॉ0 कुमकुम रौतेला, निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड (नामित प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)।
6. डॉ0 श्रीकान्त महापात्र, पूर्व कुलपति, उड़ीसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एवं निदेशक, ई0एम0पी0सी0, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (नामित प्रतिनिधि- कुलपति, इग्नू, नई दिल्ली)।
7. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य, विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
10. डॉ0 वीरन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, कृषि, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
11. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
12. श्रीमती रूचिता तिवारी, वित्त नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
13. श्री विमल कुमार मिश्र, उपकुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,

दिनांक 11 फरवरी, 2021 (बृहस्पतिवार) को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की 29वीं बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

(डॉ0 एच0एस0 नयाल)

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को माननीय कुलाधिपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. कुलपति जी के वैयक्तिक सहायक को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

(डॉ0 एच0एस0 नयाल)

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद


दिनांक 11 फरवरी, 2021 (बृहस्पतिवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रातः 11.00 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न कार्य परिषद की 29वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

1. प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी, अध्यक्ष
कुलपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
2. प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, सदस्य
भौतिक विज्ञान विभाग,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस0एस0जे0 कैम्पस,
अल्मोड़ा।
3. प्रोफेसर एल0एन0 कोली, सदस्य
लेखा एवं विधि विभाग,
वाणिज्य संकाय, दयालबाग शैक्षणिक संस्थान, दयालबाग,
आगरा-282005, उत्तर प्रदेश।
4. श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, सदस्य
अध्यक्ष,
हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री,
नवाबी रोड़, हल्द्वानी (नैनीताल)।
5. श्री पवन अग्रवाल, सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
नैनी ग्रुप, नैनी पेपर्स लि0 एवं नैनी टिश्यूज लि0,
काशीपुर, उधमसिंहनगर।
6. डॉ0 श्रीकान्त महापात्र, सदस्य
पूर्व कुलपति, उड़ीसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एवं
निदेशक, ई0एम0पी0सी0, इग्नू, नई दिल्ली
(नामित प्रतिनिधि कुलपति, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)।
7. डॉ0 कुमकुम रौतेला, सदस्य
निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड
(प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)



कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)



कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 8. | प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र,
निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 8. | प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे,
निदेशक,
समाज विज्ञान विद्याशाखा,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 9. | प्रोफेसर दुर्गेश पंत,
निदेशक,
कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 10. | डॉ0 वीरेन्द्र कुमार,
सहायक प्राध्यापक, कृषि, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 11. | डॉ0 एच0एस0 नयाल,
कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | सदस्य सचिव |
| 12. | प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल
निदेशक,
मानविकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | आमंत्रित सदस्य |
| 14. | श्रीमती रूचिता तिवारी,
वित्त नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | आमंत्रित सदस्य |
| 15. | श्री विमल कुमार मिश्र,
उपकुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | आमंत्रित सदस्य |

सर्वप्रथम कुलसचिव /सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा कुलपति, अध्यक्ष, कार्य परिषद तथा सभी उपस्थित सदस्यों का कार्य परिषद की 29वीं बैठक में स्वागत किया गया। तदुपरान्त कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्यों- प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, प्रोफेसर एल0एन0 कोली, श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, श्री पवन अग्रवाल, डॉ0 श्रीकान्त महापात्र एवं डॉ0 कुमकुम रौतेला का स्वागत करते हुए सभी का बैठक में प्रतिभाग करने के लिये आभार व्यक्त करते हुए पुनः कार्य परिषद के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया।

समस्त सदस्यों के स्वागतोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को कुलसचिव/सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावों पर निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया:-



कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

2



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रस्ताव संख्या 29.01- कार्य परिषद की 28वीं बैठक दिनांक 16.09.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि

सदस्य सचिव द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि कार्य परिषद की 28वीं बैठक दिनांक 16.09.2020 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-यू0ओ0यू0/आर/कार्य0परि0/28/2020/5014, दिनांक 22.09.2020 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि यदि कार्यवृत्त के किसी बिन्दु पर असहमति हो, किसी मद में कोई अंश छूट गया हो, अथवा कोई संशोधन अपेक्षित हो तो यथासमय विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया जाय। तदनुसार परिचालित कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों से कोई असहमति/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है। कार्य परिषद द्वारा अवगत होते हुए सर्वसम्मति से 28वीं बैठक दिनांक 16.09.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 29.02- कार्य परिषद की 28वीं बैठक दिनांक 16.09.2020 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

कार्य परिषद की 28वीं बैठक दिनांक 16.09.2020 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मिलित प्रस्ताव संख्या-28.01 से 28.20.02 तक प्रत्येक प्रस्ताव पर हुई कार्यवाही विवरण से कार्य परिषद अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 29.03- प्रोफेसर गोविन्द सिंह, प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार के अन्यत्र चयन होने पर देय असाधारण अवकाश एवं धारणाधिकार के संबंध में सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि प्रोफेसर गोविन्द सिंह, प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार का भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली में प्राध्यापक पद पर चयन होने पर उनके द्वारा असाधारण अवकाश हेतु (धारणाधिकार सहित) आवेदन किया गया। कुलपतिजी द्वारा प्रोफेसर सिंह के आवेदन पत्र पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 32(5) तथा धारणाधिकार के संबंध में पूर्व में पारित कार्य परिषद की 9वीं बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के क्रम में विचार करते हुए प्रोफेसर गोविन्द सिंह को दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 31.12.2021 तक 01 वर्ष का असाधारण अवकाश धारणाधिकार सहित स्वीकृत किया गया। तदक्रम में कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर कुलपतिजी के निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 29.04- श्री भूपेन सिंह, सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार को दिनांक 01 नवम्बर, 2020 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक कुल 02 माह का दीर्घकालीन अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किये जाने की सूचना।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि श्री भूपेन सिंह, सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार द्वारा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में पीएच0-डी0 शोध कार्य संबंधी कार्यों को सम्पादित किये जाने के लिए दिनांक 01 नवम्बर, 2020 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक कुल 02 माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था।

विश्वविद्यालय परिनियमावली में शिक्षकों के लिए अध्ययन अवकाश के संबंध में पृथक से कोई व्यवस्था न होने के कारण मा0 कुलपतिजी द्वारा विश्वविद्यालय कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में परिनियमावली के अध्याय छ: परिनियम 32(4) में दीर्घकालीन छुट्टी के अन्तर्गत वर्णित व्यवस्थानुसार श्री भूपेन सिंह को दिनांक 01 नवम्बर, 2020 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक कुल 02 माह का दीर्घकालीन अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया गया है। कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सर्वसम्मति से कुलपतिजी के निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।



कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)



कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रस्ताव संख्या 29.05- डॉ0 शंशाक शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, हिन्दी को पूर्व में स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश की अवधि को आगामी 01 वर्ष के लिए विस्तारित किये जाने के संबंध में सूचना।

सदस्य सचिव द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 शंशाक शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, हिन्दी का जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू में सह-प्राध्यापक पद पर चयन होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छः परिनियम 32(5) में वर्णित असाधारण अवकाश की व्यवस्थानुसार पूर्व में दिनांक 13.12.2019 से दिनांक 12.12.2020 तक 01 वर्ष का असाधारण अवकाश एवं धारणाधिकार कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया।

डॉ0 शंशाक शुक्ला द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्रेषित पत्र दिनांक 22.11.2020 के क्रम में दिनांक 13.12.2020 से 12.12.2021 तक 01 वर्ष की अवधि हेतु मा0 कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में डॉ0 शंशाक शुक्ला के असाधारण अवकाश एवं धारणाधिकार को विस्तारित किया गया है। कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर कुलपतिजी के निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 29.06- डॉ0 दीपक पालीवाल, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र को पूर्व में स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश की अवधि को आगामी 01 वर्ष के लिए विस्तारित किये जाने के संबंध में सूचना।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विस्तृत जानकारी देते हुए कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 दीपक पालीवाल, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र का डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में संयुक्त निदेशक (व्यवहार विज्ञान) पद पर सेवा स्थानान्तरण के आधार पर चयन होने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छः परिनियम 32(5) में वर्णित असाधारण अवकाश की व्यवस्थानुसार पूर्व में दिनांक 15.12.2018 से दिनांक 28.02.2019, दिनांक 01.03.2019 से दिनांक 14.12.2019 तथा दिनांक 15.12.2019 से दिनांक 14.12.2020 तक असाधारण (अवैतनिक) अवकाश कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया।

निदेशक, डॉ0 आर0एस0 टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 2020 के क्रम में दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 से दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 तक 01 वर्ष की अवधि हेतु मा0 कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में डॉ0 दीपक पालीवाल के असाधारण अवकाश एवं धारणाधिकार को विस्तारित किया गया है। कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 26.07- डॉ0 देवेश कुमार मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, संस्कृत के अन्यत्र चयन होने पर देय असाधारण अवकाश एवं धारणाधिकार के संबंध में सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 देवेश कुमार मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, संस्कृत का इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में सह-प्राध्यापक पद पर चयन होने के फलस्वरूप मा0 कुलपतिजी के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छः परिनियम 32(5) में वर्णित असाधारण अवकाश की व्यवस्थानुसार दिनांक 31.12.2020 से दिनांक 30.12.2021 तक 01 वर्ष का



कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

4



कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

असाधारण अवकाश एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अन्यत्र चयन होने की दशा में उनके धारणाधिकार के संबंध में कार्य परिषद की 9वीं बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के क्रम में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया है। कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 29.08- विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 19वीं बैठक दिनांक 22.10.2020 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 19वीं बैठक दिनांक 22.10.2020 में प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या-19.01 से 19.07.01 तक प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, तदुपरान्त विद्या परिषद की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 29.09- विश्वविद्यालय वित्त समिति की 14वीं बैठक दिनांक 06.02.2021 की संस्तुतियों का अनुमोदन।


विश्वविद्यालय वित्त समिति की 14वीं बैठक दिनांक 06.02.2021 में प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या-14.01 से 14.23 (झ) तक प्रत्येक प्रस्ताव पर वित्त नियंत्रक द्वारा कार्य परिषद को विस्तृत जानकारी दी गयी। कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति की संस्तुतियों का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त उन प्रस्तावों पर जिन्हें वित्त समिति द्वारा कार्य परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी है, पर निम्नानुसार संस्तुति/संशोधन करते हुए शेष कार्यवृत्त पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया:-


मद संख्या 14.07 एवं 14.08- प्रस्तुत प्रस्तावों में वित्त समिति की संस्तुतियों पर कार्य परिषद द्वारा यथावत् स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या 14.09(2)- सत्रीय कार्य की गुणवत्ता एवं प्रश्नों की न्यूनतम व अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने के लिए नियमावली/निर्देश बनाये जाने हेतु कार्य परिषद द्वारा कुलपतिजी को अधिकृत किया गया।

मद संख्या 14.11- विश्वविद्यालय की चयन समितियों, कार्य परिषद, विद्या परिषद, योजना बोर्ड, अध्ययन बोर्ड आदि इस प्रकार की बैठकों में प्रतिभाग करने वाले बाह्य विशेषज्ञों के सीटिंग चार्ज/मानदेय भुगतान किये जाने पर कार्य परिषद द्वारा निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया:-

- चयन समिति - ₹ 2500/-
- कार्य परिषद/वित्त समिति/विद्या परिषद/ योजना बोर्ड - ₹ 3000/-
- परीक्षा समिति/मान्यता बोर्ड/अध्ययन बोर्ड व अन्य - ₹ 2000/-


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)


कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

मद संख्या 14.18- प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त कार्य परिषद द्वारा मत व्यक्त किया गया कि चूंकि श्री नवीन जोशी बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से विश्वविद्यालय में नियोजित हैं, इसलिए इन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जा सकता साथ ही यह भी संस्तुति की गयी कि श्री नवीन जोशी से यथावत् उनके पद के अनुरूप कार्य लिया जाय एवं आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय हित में आउटसोर्स के माध्यम से वाहन चालक की नियुक्ति की जाय।

मद संख्या 14.19- विश्वविद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन एवं अकादमिक भवन में कुलपति, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक कार्यालय, उपकुलसचिव कक्ष, बैठक कक्ष एवं अन्य कार्यालय व्यवस्था के कक्षों में आंतरिक साज-सज्जा, अनुरक्षण एवं इलैक्ट्रानिक उपकरणों का क्रय किये जाने हेतु वित्त समिति द्वारा ₹50.00 लाख की स्वीकृति की गयी है। कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति की संस्तुतियों पर अनुमोदन दिया गया तथा यह व्यवस्था भी दी गयी कि उक्त क्रय हेतु धनराशि की कमी होने पर इसे 50 प्रतिशत तक और बढ़ाया जा सकता है।

मद संख्या 14.23(ख)- प्रस्तुत प्रस्ताव में कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति के निर्णय को यथावत् लागू किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 14.23(घ)- अध्ययन केन्द्रों को देय अंश के संबंध में पुनः समीक्षा किये जाने हेतु एक नवीन आंकलन समिति (Review Committee) गठित किये जाने हेतु कार्य परिषद द्वारा कुलपतिजी को अधिकृत किया गया। नई समिति की संस्तुतियों पर कार्य परिषद/वित्त समिति से अनुमोदन प्राप्त होने तक पूर्व व्यवस्था यथावत् रखी जाय।


मद संख्या 14.23(च) 'कुलपति विवेकाधीन कोष' का नाम परिवर्तित कर 'विश्वविद्यालय कल्याण कोष' (University Welfare Fund) रखे जाने का कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा कोष के संचालन के लिए समिति गठित किये जाने हेतु कुलपतिजी को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 29.10- कैरियर अभिवर्धन योजना (CAS) के अन्तर्गत पुरानी सेवा को समाहित (जोड़े) जाने के संबंध में गठित समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन।

सदस्य सचिव द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि कैरियर अभिवर्धन योजना (CAS) के अन्तर्गत पुरानी सेवा जोड़े जाने के संबंध में विश्वविद्यालय में नियुक्त सहायक आचार्यों से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किये जाने एवं नीति निर्धारित किये जाने हेतु मा० कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना संख्या-271, दिनांक 18 जुलाई, 2018, तदनुसार उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1424/XXIV(4)/2019-01(28)/2016, दिनांक 06 सितम्बर, 2019 के मानकों के अनुरूप सहायक आचार्य -



कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)



कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)